



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173320-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील अन्तर्गत धारा 413 संख्या- 461/2026

अविका टण्डन

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : यश टण्डन

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक मिश्रा, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 46

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय

(माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा द्वारा पारित)

1- यह अपील, प्रथम सूचनाकर्ता अविका टंडन द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1388/2022 (राज्य बनाम बहादुर @ शेर बहादुर), अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं., थाना-फाफामऊ, जनपद-प्रयागराज में दिनांक 30.04.2026 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-विपक्षी संख्या-1 को धारा 302 भा.दं.सं. के अन्तर्गत उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

2- अभिलेख का परिशीलन किया।

3- हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्वेताश्व अग्रवाल, जिनकी सहायता श्री यश टंडन, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, राज्य/विपक्षी संख्या-1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा अभियुक्त/विपक्षी संख्या-2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा को सुना।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- प्रस्तुत प्रकरण का इतिहास उतार-चढ़ावपूर्ण रहा है। तथापि, जिस दिन मृतका प्रातः भ्रमण करने तथा आवारा पशुओं के लिए टोन्ड मिल्क खरीदने हेतु अपने घर से बाहर गई थी, उस दिन से लेकर आक्षेपित निर्णय की तारीख तक घटित घटनाओं का क्रम संपूर्ण प्रकरण की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। हम इस निर्णय के आगामी भाग में उक्त घटनाक्रम का उल्लेख करेंगे।

5- अभियोजन की कहानी इस घटना से प्रारंभ होती है कि दिनांक 19.04.2022 को डॉ. वीणा टंडन (प्रथम सूचनाकर्ता की माता) लगभग प्रातः 08:00 बजे अपने क्लिनिक से घर वापस आईं। डॉ. वीणा टंडन पशु-प्रेमी थीं, अतः वह आवारा पशुओं की देखभाल करती थीं। इसके पश्चात वह आवारा पशुओं के लिए टोन्ड मिल्क (दूध से वसा अलग किया हुआ दूध) खरीदने हेतु पैदल बाहर गईं। तथापि, प्रातः 10:00 बजे तक भी वह घर वापस नहीं आईं। तदनुसार, उनकी पुत्री मिस अविका टंडन (प्रथम सूचनाकर्ता) ने अपने मोबाइल फोन से अपनी माता को फोन किया, किंतु फोन का उत्तर नहीं दिया गया। इसी समय दो पुलिसकर्मी प्रथम सूचनाकर्ता के घर पहुंचे और उसे सूचित किया कि उसकी माता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचनाकर्ता शिवालिक अस्पताल, फाफामऊ पहुंची और अपनी माता के शव को देखा। इसके पश्चात प्रथम सूचनाकर्ता ने अपनी माता की मृत्यु के कारण के संबंध में जानकारी की। पूछताछ करने पर शिवालिक अस्पताल में तैनात डॉ. आनंद ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी माता को अस्पताल में छोड़कर चला गया था और उसके बाद वहां से भाग गया। उसने यह नहीं बताया कि वह व्यक्ति कौन था, वह उक्त महिला को कहां से लाया था अथवा उसने क्या देखा था। इसके पश्चात प्रथम सूचनाकर्ता/पीडब्लू-1 ने दिनांक 19.02.2022 को थाना-फाफामऊ में लिखित मृत्यु सूचना रिपोर्ट (फौती रिपोर्ट) प्रस्तुत की, जिसमें मृतका के शव का पंचायतनामा/मृत्यु परीक्षण कराए जाने का अनुरोध किया गया। तदनुसार, पीडब्लू-10 उपनिरीक्षक ज्योति ने दिनांक 19.03.2022 को मृतका के शव का पंचायतनामा/मृत्यु परीक्षण कराया (प्रदर्श क-2)। इसके पश्चात मृतका के शव का शव-परीक्षण कराए जाने हेतु विस्तृत पुलिस प्रपत्र तैयार किया गया। उक्त प्रपत्र प्रदर्श क-5 से प्रदर्श क-10 के रूप में सिद्ध किए गए हैं।

6- पीडब्लू-5 डॉ. संतोष कुमार यादव, शव-परीक्षणकर्ता ने दिनांक 22.04.2022 को मृतका के शव का शव-परीक्षण किया। इस साक्षी के अनुसार, मृतका के शव का शव-परीक्षण प्रातः 11:10 बजे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रारंभ हुआ तथा प्रातः 11:40 बजे समाप्त हुआ। बाह्य परीक्षण के दौरान शव-परीक्षणकर्ता ने मृतका के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई:-

"बाह्य चोटें

1- 2 सेमी x 1 सेमी का विदीर्ण घाव, जिसके साथ 18 सेमी x 8 सेमी की नीलयुक्त सूजन उपस्थित थी, जो बाईं ओर के पश्चकपाल-कनपटी क्षेत्र में स्थित थी।

2- खोपड़ी के पीछे दाईं ओर 2 सेमी x 1 सेमी का घर्षित नीलगू पाया गया।

3- चेहरे के दाईं ओर, अधोहनु क्षेत्र में 2 सेमी x 1 सेमी का घर्षित नीलगू उपस्थित था।"

7- आंतरिक परीक्षण के दौरान शव-परीक्षणकर्ता ने निम्नलिखित चोटें पाई:-

"आंतरिक चोटें

खोपड़ी की त्वचा के नीचे रक्तसंग्रह उपस्थित था तथा खोपड़ी की बाईं ओर की कनपटी एवं पश्चकपाल अस्थियां फ्रैक्चर थीं। झिल्ली विदीर्ण थी तथा रक्तसंग्रह उपस्थित था। मस्तिष्क की झिल्लियां फटी हुई थीं। मस्तिष्क में रक्तसंग्रह उपस्थित था। आमाशय में 150 मिली अर्ध-पचा हुआ तरल पदार्थ उपस्थित था। गर्भाशय गैर-गर्भावस्थात्मक था। मेरु नाल (रीढ़ की हड्डी का वलय) को खोला नहीं गया था।"

8- शव-परीक्षणकर्ता की राय में, मृतका की मृत्यु शिवालिक अस्पताल में एक दिन पूर्व हो गई थी। शव-परीक्षणकर्ता द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोट के कारण कोमा बताया गया। अंततः शव-परीक्षणकर्ता ने मृतका की दिनांक 22.04.2022 की शव-परीक्षण रिपोर्ट तैयार की, जो प्रदर्शक-4 है।

9- उपर्युक्त के पश्चात तथा घटना की तारीख से 8 दिन बीत जाने के बाद, प्रथम सूचनाकर्ता मिस अविका टंडन ने दिनांक 26.04.2022 को थाना-फाफामऊ, जनपद-प्रयागराज में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूंकि अभियोजन की कहानी उपर्युक्त दिनांक 26.04.2022 की लिखित रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, अतः आक्षेपित निर्णय में लिपिबद्ध उक्त लिखित रिपोर्ट को यहां पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"उसकी माताजी डा० वीना टण्डन का 19 अप्रैल, 2022 को सुबह जबरदस्ती एक्सीडेंट करके मर्डर किया गया है। 19 अप्रैल को सुबह उसकी माताजी 8.00 एएम पर अपनी क्लीनिक 5-बी आजाद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्केट, तेलियरगंज, इलाहाबाद से घर आई और कहा कि वह फाफामऊ जा रही हैं, दूध का डोला लेकर सप्रेटा (बिना मलाई का दूध) खरीदने घर से निकलीं। उनकी लम्बी मार्निंग वाक करने की आदत थी। जब वह 10.00 एएम तक वापस नहीं आई तो उसने, उन्हें फोन किया, पर उन्होंने उठाया नहीं। तभी दो पुलिसकर्मी उसके घर आये और बोले कि उसकी माताजी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गयी थी, उन्होंने उसकी माताजी की शिवालिक हास्पिटल, फाफामऊ, इलाहाबाद में लेटे हुए मृत अवस्था की तस्वीर दिखायी तो उसने तुरन्त पहचान लिया कि ये उसकी माता जी हैं। वह तुरन्त शिवालिक हास्पिटल, फाफामऊ गयी और अपनी माताजी को वहां मृत पाया। उनके जूते गायब थे, एक मोजा गायब था। शिवालिक हास्पिटल के डा० आनन्द ने बताया कि हास्पिटल के सामने एक आदमी उसकी माताजी को पटक कर भाग गया था। पूछने पर उसने डाक्टर को या उनके कर्मचारियों को यह नहीं बताया कि उसकी माताजी को वह कहां से लाया था और उसने क्या देखा था। उसकी माताजी की सांसें चल रही थी और डा० आनन्द ने उनके माथे पर पट्टी की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर के पूरे बायीं तरफ सामने और सर के पीछे भी गम्भीर चोटें आयी थीं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। कौन सी गाड़ी उनसे टकराई थी, यह पुलिस को अभी पता करना है। कौन उन्हें लाया और पटक के भागा, उसका नाम भी पुलिस को पता करना है। तेलियरगंज में उसकी माताजी डा० वीना टण्डन, प्रसिद्ध डाक्टर आफ मेडिसिन को सब जानते हैं। तेलियरगंज से लेकर फाफामऊ तक का बीच का पुल पूरी तरह चार पहिया वाहन के आवागमन के लिए बन्द किया गया है। इस कारण उस पुल पर दो पहिया की बहुत भीड़ रहती है और चार पहिया केवल पुलिस और एम्बुलेंस ही उस पुल से गुजर सकती हैं। उसकी माताजी वहीं चन्द्रशेखर आजाद पुल से ही फाफामऊ हमेशा आती जाती थीं। वह रोज सप्रेटा दूध लेने टहलते हुए यहां आती थीं। उस पुल पर हादसा होता तो बहुत लोगों को दिखता। उस पुल के बाद जहां सरकारी रोड खत्म होती है, वहां किसी ने उन्हें नहीं देखा। वह चोटिल अवस्था में फाफामऊ में पुल की सीमा खत्म होने के बाद मारी गयी हैं। गाड़ी से टक्कर मार कर और उन्हें उठा कर पास ही शिवालिक हास्पिटल पर पटक कर भाग गये, ताकि कोई उनके प्राण बचा न ले। इसका मतलब कि तेलियरगंज में हादसा नहीं हुआ, वहां सब उन्हें जानते और एक चोटिल औरत को दो पहिया वाहन पर तेलियरगंज से फाफामऊ बिना लोगों के देखे/नोटिस किये हुए नहीं पहुंचाया जा सकता। यह हादसा पुल के बाद हुआ और दूध की दुकानों से पहले। पुलिस कृपया छान बीन करे कि यह कहां हुआ है, फाफामऊ में और किसने किया है? वह 15-20 साल से सड़क के पशुओं की निशुल्क सेवा करती है। मेरे बहुत सारे सड़क के और घर के पशु (pets) यानि कुत्तों को उस क्षेत्र के मर्डरर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बहादुर, जो एक मुसलमान होकर जुम्मू नाम के मुसलमान का मर्डर कर चुका है ने बेरहमी से पशुओं को उसके सामने जान से मारा है। इस बहादुर और उसके स मुसलमानों ने कई बार उसे और उसकी माताजी को जान की धमकी दी है और उन पर हमले भी किये हैं। इन्होंने उसके घर पर पत्थर और ईंटें कई बार बरसाये हैं। इन मुसलमानों का कहना है कि कुत्ते उनके लिए हराम हैं और वे उन दोनों अकेली मां बेटी को इन कुत्तों के साथ जान से मार देंगे। उसे पता है कि अब उसकी माता जी के बाद ये यही लोग उसका मर्डर करने के लिए रुके हैं, क्योंकि इन सबके खिलाफ उसने कई एफ०आई०आर० लिखायी है। इनका धमकी भरा खत भी उसके पास अब भजिसमें इन लोगों ने उसे काट कर उसकी बोटियां कुत्तों को खिलाने की बात कही उस पर श्रीमती मेनका गांधी और एस०एस०पी० के सहयोग से एफ०आई०आर० भी हो चुकी है। इन लोगों ने उसे और उसकी माताजी को कई बार धमकाया और अब उसकी माताजी को जान से मार दिया और अब उसे भी मार देंगे, सिर्फ इसलिए कि वह एक गहन पशु प्रेमी है और उसकी माताजी उसे पूरा सहयोग देती थी। अगर वे दोनों मर गये तो इनके खिलाफ की गयी सारी एफ०आई०आर० खारिज हो जायेगी। एक पढ़े-लिखे पशु प्रेमी होने के कारण किमिनल्स के हाथों उनकी जान नहीं जानी चाहिए।।]"

10- उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, पीडब्लू-7 हेड कांस्टेबल श्री नारायण पाण्डेय, जो थाना-फाफामऊ में हेड क्लर्क के पद पर तैनात थे, ने उक्त दिनांक 26.04.2022 की लिखित रिपोर्ट को थाना-फाफामऊ की सामान्य डायरी में दिनांक 26.04.2022 के समय 22:24 बजे जी.डी. प्रविष्टि संख्या 70 के रूप में अंकित किया (प्रदर्श क-14)। तत्पश्चात, पीडब्लू-7 ने इसी के आधार पर दिनांक 26.04.2022 की चेक एफ.आई.आर. तैयार की (प्रदर्श क-14), जो मुकदमा अपराध संख्या 117/2022, अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं., थाना-फाफामऊ, जनपद-प्रयागराज के रूप में पंजीकृत हुई। उक्त एफ.आई.आर. में बहादुर @ शेर बहादुर को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जबकि उसके साथियों को भी अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया।

11- उपर्युक्त एफ.आई.आर. के पंजीकरण के पश्चात, पीडब्लू-6 आशीष सिंह, थाना प्रभारी, थाना-फाफामऊ को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रथम सूचनाकर्ता के बताए अनुसार, इस साक्षी ने घटनास्थल का स्थल-नक्शा तैयार किया (प्रदर्श क-11)। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, उसने आरोप-पत्र (प्रदर्श क-12) प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा नामजद अभियुक्त शेर बहादुर के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12- उपर्युक्त आरोप-पत्र/धारा 173(2) दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया। चूंकि अभिकथित अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, अतः क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट ने प्रकरण को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया।

13- परिणामस्वरूप, सत्र परीक्षण संख्या 1388/2022 (राज्य बनाम बहादुर @ शेर बहादुर) सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज के न्यायालय में पंजीकृत हुआ। चूंकि अभियुक्त के विचारण को आगे बढ़ाने में कोई विधिक बाधा नहीं थी, अतः संबंधित सत्र न्यायाधीश ने विचारण की कार्यवाही प्रारंभ की। तदनुसार, दं.प्र.सं. की धारा 228 के अनुपालन में आरोप-पत्रित अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित किया। आरोप-पत्रित अभियुक्त ने विरचित आरोपों से इनकार किया। उसने स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण की मांग की। परिणामतः विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

14- अभियोजन ने आरोप-पत्रित अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोपों को सिद्ध करने के अपने दायित्व के निर्वहन में निम्नलिखित अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत किया:-

(i)- पीडब्लू-1, कु. अविका टंडन (प्रथम सूचनाकर्ता)

(ii)- पीडब्लू-2, आदित्य यादव (साक्षी)

(iii)- पीडब्लू-3, विकास यादव (साक्षी)

(iv)- पीडब्लू-4, अजय गुप्ता (साक्षी)

(v)- पीडब्लू-5, डॉ. संतोष कुमार यादव (शव-परीक्षणकर्ता)

(vi)- पीडब्लू-6, आशीष सिंह (विवेचना अधिकारी)

(vii)- पीडब्लू-7, हे.का. श्री नारायण पाण्डेय (जी.डी. एवं एफ.आई.आर. के लेखक)

(viii)- पीडब्लू-8, बृजेश सिंह ()

(ix)- पीडब्लू-9, डॉ. शंशांक शेखर (वह चिकित्सक जिसने मृतका का अस्पताल में उपचार किया था)

(x)- पीडब्लू-10, उ.नि. ज्योति (इस साक्षी ने मृतका का पंचायतनामा/मृत्यु परीक्षण तैयार किया था)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(xi)- पीडब्लू-11, नसीम इस्लाम (घटना का प्रत्यक्षदर्शी)

15- यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अतः वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण है। पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 एवं पीडब्लू-9, जिन्हें तथ्य के अभियोजन साक्षी होना अभिकथित किया गया है, के बयान विवेचना अधिकारी द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 161 के अन्तर्गत दर्ज किए गए थे। उनके बयानों के आधार पर ही विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल की पहचान की तथा आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नामजद अभियुक्त बहादुर @ शेर बहादुर की प्रश्नगत अपराध में प्रथमदृष्टया संलिप्तता स्पष्ट है। तथापि, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 एवं पीडब्लू-9 ने अवर न्यायालय के समक्ष अपने-अपने बयानों में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। परिणामस्वरूप, अभियोजन का प्रकरण साक्ष्य-विहीन प्रकरण हो गया। इस स्तर पर अभियोजन ने दं.प्र.सं. की धारा 311 के अन्तर्गत नसीम इस्लाम को साक्षी के रूप में तलब किए जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि उसके बारे में कथित था कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। उक्त आवेदन को अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। परिणामस्वरूप, नसीम इस्लाम को न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी के रूप में तलब किया गया। पीडब्लू-11 नसीम इस्लाम ने अवर न्यायालय के समक्ष अपने बयान में अभियोजन का समर्थन किया। इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में परिवर्तित हो गया। तथापि, अवर न्यायालय ने इस साक्षी के बयान पर विश्वास नहीं किया और उसके बयान को अस्वीकार कर दिया।

16- उपर्युक्त अभियोजन साक्षियों के बयानों पर निर्भर रहने के अतिरिक्त, अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया, जिसका विवरण निम्नवत् सारणीबद्ध है:-

क्रम संख्या प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण
---------------------	-------------------

प्रथम सूचनाकर्ता मिस अविका टंडन द्वारा दिनांक 22.04.2022 को

1-	प्रदर्श क-1 थाना-फाफामऊ, जनपद-प्रयागराज में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट, जिसे पीडब्लू-1 द्वारा सिद्ध किया गया।
----	---

2-	प्रदर्श क-2 दिनांक 19.04.2022 की मृत्यु सूचना रिपोर्ट (फौती रिपोर्ट)।
----	---

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रम संख्या प्रदर्श

दस्तावेज का विवरण

- दिनांक 19.04.2022 को मृतका के शव का तैयार किया गया
- 3- प्रदर्श क-3 पंचायतनामा/मृत्यु परीक्षण रिपोर्ट, जिसे पीडब्लू-10 उपनिरीक्षक ज्योति द्वारा तैयार किया गया तथा पीडब्लू-1 प्रथम सूचनाकर्ता मिस अविका टंडन द्वारा सिद्ध किया गया।
- दिनांक 22.06.2022 को पीडब्लू-5 डॉ. संतोष कुमार यादव द्वारा मृतका
- 4- प्रदर्श क-4 के शव पर किए गए शव-परीक्षण से संबंधित शव-परीक्षण रिपोर्ट, जिसे पीडब्लू-5 द्वारा सिद्ध किया गया।
- 5- प्रदर्श क-5 आर.आई. के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित पत्र।
- 6- प्रदर्श क-6 फोटो लैश।
- 7- प्रदर्श क-7 चालान लैश।
- 8- प्रदर्श क-8 आर.आई. को प्रेषित पत्र।
- 9- प्रदर्श क-9 थाना-फाफामऊ के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित पत्र।
- 10- प्रदर्श क-10 सील का नमूना।
- 11- प्रदर्श क-11 पीडब्लू-6 आशीष सिंह, विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार किया गया घटनास्थल का स्थल-नक्शा, जिसे पीडब्लू-1 द्वारा सिद्ध किया गया।
- 12- प्रदर्श क-12 पीडब्लू-6 आशीष सिंह, विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार आरोप-पत्र, जिसे पीडब्लू-6 द्वारा सिद्ध किया गया।
- 13- प्रदर्श क-13 पीडब्लू-7 हेड कांस्टेबल श्री नारायण द्वारा प्रस्तुत चेक एफ.आई.आर., जिसे पीडब्लू-7 द्वारा सिद्ध किया गया।
- 14- प्रदर्श क-14 पीडब्लू-7 हेड कांस्टेबल श्री नारायण द्वारा की गई जी.डी. प्रविष्टि, जिसे पीडब्लू-7 द्वारा सिद्ध किया गया।



17- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात, धारा 313 दं.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार, अभियुक्त को घटना के संबंध में उसका पक्ष जानने हेतु सभी प्रतिकूल एवं आपत्तिजनक परिस्थितियों को प्रश्नोत्तर के रूप में उसके समक्ष रखा गया। अभियुक्त ने एक-एक करके उससे किए गए सभी सुझावों से इनकार किया और बार-बार कहा कि यह झूठ है। पीडब्लू-1 के बयान के संबंध में अभियुक्त ने कहा कि पीडब्लू-1 का बयान एक काल्पनिक कहानी को प्रकट करता है। उसके विरुद्ध विरचित आरोप झूठा एवं निराधार है। पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 ने अभियुक्त के विरुद्ध बयान नहीं दिया है, जो सही है। पीडब्लू-5 का बयान सही है। पीडब्लू-6 ने आंशिक रूप से सत्य बयान दिया है, किंतु स्थल-नक्शा एफ.आई.आर. के विपरीत है। पीडब्लू-7, पीडब्लू-9 एवं पीडब्लू-10 के बयान सही हैं। पीडब्लू-11 के संबंध में अभियुक्त ने कहा कि वह खरीदा हुआ साक्षी है। वह एक अभ्यस्त अपराधी है। उसके और पीडब्लू-11 के बीच पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी के कारण उसके विरुद्ध झूठा अभियोजन प्रारंभ किया गया है। अंततः यह कहा गया कि अभियुक्त निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। तथापि, अभियुक्त ने कहा कि बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। किंतु अभियुक्त द्वारा न तो कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही मृतक स्वयं साक्षी के रूप में बयान देने के लिए उपस्थित हुआ। अभियुक्त घटना के संबंध में अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः घटना के संबंध में एकमात्र उपलब्ध कथन अभियोजन का कथन है।

18- साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात पक्षकारों की ओर से अपने-अपने प्रकरण के समर्थन में मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया कि एफ.आई.आर. विलंब से दर्ज की गई, किंतु इसके लिए वैध कारण विद्यमान थे। अतः एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुआ विलंब अभियोजन के लिए घातक नहीं होगा। प्रथम सूचनाकर्ता एक साधारण महिला है और विधि के संबंध में अधिक जानकारी नहीं रखती है। नसीम इस्लाम के घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का तथ्य प्रथम सूचनाकर्ता के संज्ञान में बहुत विलंब से आया। इसके पश्चात नसीम इस्लाम ने अवर न्यायालय के समक्ष बयान दिया और घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत किया। मृतका के सिर पर चोट लगी थी, जिसकी पुष्टि प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-11 नसीम इस्लाम के बयान से भी होती है। यदि मृतका की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई होती, तो उसे प्राप्त होने वाली चोटों की प्रकृति मृतका को प्राप्त चोटों से भिन्न होती। वर्तमान प्रकरण पूर्णतः हत्या का प्रकरण है। अभियुक्त प्रश्नगत अपराध कारित करने का दोषी है। अतः वह दोषसिद्ध किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19- इसके विपरीत, अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि एफ.आई.आर. 7 दिन के विलंब से दर्ज की गई। एफ.आई.आर. संदेह एवं दुश्मनी के आधार पर काल्पनिक एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई थी। विचारण के दौरान पीडब्लू-11 नसीम इस्लाम को घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत/सम्मिलित किया गया। तथापि, न तो घटना के समय और न ही विवेचना के दौरान वह उपस्थित था। केस डायरी अथवा एफ.आई.आर. में उसका नाम नहीं है। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में घटनास्थल पहले फाफामऊ दर्शाया गया था, जबकि पीडब्लू-1 प्रथम सूचनाकर्ता ने अपने प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल शंकरघाट बताया है। तथापि, अपने मुख्य परीक्षण के बाद के भाग में पीडब्लू-1 ने कहा है कि मृतका की हत्या चंद्रशेखर आजाद सेतु के पूर्व की सीढ़ियों के पास की गई थी। तथ्य के अभियोजन साक्षी पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 एवं पीडब्लू-8 ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और इसलिए उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह पक्षद्रोही साक्षी पर लागू नहीं होता है। शव-परीक्षणकर्ता के अनुसार, मृतका की मृत्यु दुर्घटना में लगी सिर की चोट के कारण हो सकती थी। पीडब्लू-1 एवं पीडब्लू-11 के बयानों के अनुसार घटना के समय में गंभीर विरोधाभास हैं। पीडब्लू-1, जो मृतका की पुत्री तथा घटनास्थल वाले घर की निवासी भी है, ने कहा है कि मृतका प्रातः 08:00 बजे अपने क्लिनिक से घर आई और उसके बाद आवारा पशुओं के लिए टोन्ड मिल्क खरीदने हेतु पैदल चली गई। पीडब्लू-11 ने कहा है कि घटना प्रातः 07:30 बजे से 08:00 बजे के बीच हुई। यदि पीडब्लू-11 ने वास्तव में घटना देखी होती, तो निश्चित रूप से उसने प्रथम सूचनाकर्ता को इसकी जानकारी दी होती, क्योंकि पीडब्लू-11 ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि वह मृतका को जानता था और प्रथम सूचनाकर्ता के साथ उसके अच्छे एवं मधुर संबंध थे। अभियुक्त एवं पीडब्लू-11 के बीच दुश्मनी स्वीकार की गई है और इसलिए पीडब्लू-11 ने झूठा बयान देने के लिए साक्ष्य दिया है। अभियोजन अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है और इसलिए अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

20- इसके पश्चात, अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में अभियोजन के प्रकरण की जांच एवं मूल्यांकन किया। अभियोजन की कहानी की सत्यता का पता लगाने के लिए अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत मूल्यांकन किया। उपर्युक्त अभ्यास किए जाने के पश्चात, अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह से परे अर्थात् एक युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21- तदनुसार, सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज ने दिनांक 30.04.2026 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

22- इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर प्रथम सूचनाकर्ता अविना टंडन ने अब वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है।

23- अपीलकर्ता की ओर से आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्वेताश्व अग्रवाल ने हमारे समक्ष एकमात्र तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय में यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त एवं पीडब्लू-11 के बीच गहरी एवं गंभीर दुश्मनी थी। उक्त कारण से पीडब्लू-11 भयभीत था और इसी कारण वह घटना की जानकारी पुलिस अथवा प्रथम सूचनाकर्ता को नहीं दे सका, यद्यपि वह प्रथम सूचनाकर्ता से भली-भांति परिचित था। अवर न्यायालय ने पीडब्लू-11 द्वारा न्यायालय में विलंब से उपस्थित होने के संबंध में प्रस्तुत उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के बजाय, उसके बयान पर भरोसा करते हुए पीडब्लू-11 द्वारा विचारण में देर से उपस्थित होने के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को मात्र नजरअंदाज कर दिया और आगे उस पर अविश्वास करते हुए उसके साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आपराधिक विचारण का अंतिम उद्देश्य सत्य को उजागर करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि कोई अपराधी दण्ड से बच न जाए। तथापि, अवर न्यायालय ने आपराधिक विचारण के पीछे निहित उक्त पवित्र उद्देश्य की अनदेखी की और पीडब्लू-11, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, पर अविश्वास करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का विफल होना हुआ। अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस प्रकार पुरजोर ढंग से तर्क दिया कि अवर न्यायालय अपने अधिकारिता का सावधानीपूर्वक प्रयोग करने में विफल रहा है। इसके बजाय, उसने अपने अधिकारिता का लापरवाह ढंग से प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय पारित हुआ, जो विधि एवं तथ्यों दोनों की दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि पीडब्लू-11 के बयान के अनुसार अभियुक्त का दोष विधिवत सिद्ध है, अतः आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए और अपील स्वीकार की जाए।

24- इसके विपरीत, राज्य/विपक्षी संख्या-1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया। विद्वान ए.जी.ए. ने प्रारंभ में ही हमारे समक्ष तर्क दिया कि अपीलकर्ता का यह प्रकरण नहीं है कि अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनदेखी की है अथवा अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध किसी महत्वपूर्ण सामग्री या साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला है। आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य एवं सामग्री पर विचार किया है। अतः आक्षेपित निर्णय में कोई विकृतता नहीं मानी जा सकती।

25- विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचनाकर्ता पीडब्लू-1 मिस अविका टंडन द्वारा एफ.आई.आर. 7 दिन के विलंब से तथा संदेह के आधार पर दर्ज कराई गई। अतः अभियुक्त को प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से आक्षेपित एफ.आई.आर. को अभियुक्त के विरुद्ध गढ़ा गया था। अतः अभियुक्त का आपराधिक अभियोजन दुर्भावनापूर्ण है।

26- विद्वान ए.जी.ए. के अनुसार, प्रारंभ से ही अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। अतः घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। विवेचना अधिकारी ने पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 एवं पीडब्लू-9 के बयानों के आधार पर स्थल-नक्शे में घटनास्थल की पहचान की। विवेचना अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षियों के बयानों के आधार पर आरोप-पत्र/पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तथापि, उपर्युक्त साक्षियों ने अवर न्यायालय के समक्ष अपने-अपने बयानों में पक्षद्रोही होकर अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अतः अभियोजन का प्रकरण साक्ष्य-विहीन प्रकरण हो गया।

27- उपर्युक्त कारण से विचारण के दौरान अभियोजन ने पीडब्लू-11 को साक्षी के रूप में तलब करने हेतु दं.प्र.सं. की धारा 311 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन के अनुसार, पीडब्लू-11 घटना का प्रत्यक्षदर्शी है और उसका बयान सत्य को उजागर करने में न्यायालय के लिए सहायक होगा। अभियोजन का उक्त आवेदन विचारण न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तदनुसार, नसीम इस्लाम को अवर न्यायालय द्वारा साक्षी के रूप में तलब किया गया। परिणामस्वरूप, नसीम इस्लाम ने अवर न्यायालय के समक्ष पीडब्लू-11 के रूप में बयान दिया। यद्यपि पीडब्लू-11 को अभियोजन साक्षी के रूप में तलब करने के पीछे उद्देश्य प्रशंसनीय था, तथापि उसके बयान को अवर न्यायालय द्वारा विश्वसनीय एवं भरोसे योग्य न मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया।

28- अवर न्यायालय ने पीडब्लू-11 के बयान पर अविश्वास करने तथा उसे अस्वीकार करने के लिए ठोस कारण दिए हैं। तथ्य का यह अभियोजन साक्षी (पीडब्लू-11), जिसे विचारण में विलंबित चरण में प्रस्तुत किया गया था, विश्वसनीय एवं भरोसे योग्य नहीं पाया गया। अवर न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा दर्ज किए गए कारण आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। उक्त कारण ठोस कारण हैं और उन्हें काल्पनिक अथवा सतही कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

29- प्रारंभ से ही अभियोजन ने अपने पूरे प्रकरण को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किया था। किंतु अभियुक्त का दोष सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में स्थापित किए जाने वाले सभी आवश्यक मानदंडों को सिद्ध करने में विफल रहने के पश्चात, अभियोजन ने पीडब्लू-11 नसीम इस्लाम को घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे प्रकरण की प्रकृति प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में परिवर्तित हो गई। तथापि, अवर न्यायालय ने उसके अस्पष्टीकृत आचरण तथा विचारण में उसके अचानक प्रकट होने के कारण पीडब्लू-11 के बयान पर अविश्वास किया और उसे अस्वीकार कर दिया, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, अभियोजन उस मूल कहानी को ही सिद्ध करने में विफल रहा, जिसे सिद्ध करने के लिए उसने प्रकरण प्रस्तुत किया था।

30- उपर्युक्त तर्कों के आधार पर विद्वान ए.जी.ए. ने इस प्रकार तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने के लिए अवर न्यायालय द्वारा विधि अथवा तथ्य की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के भार के आलोक में अभियोजन के प्रकरण के मूल्यांकन से निकला स्वाभाविक एवं तार्किक निष्कर्ष है। अतः आक्षेपित निर्णय किसी भी प्रकार की विकृतता से ग्रस्त नहीं है। अतः वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

31- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्य/विपक्षी संख्या-1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुनने, अभिलेख के परिशीलन तथा उपर्युक्त रूप में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों के मूल्यांकन के पश्चात, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में हम पाते हैं कि वर्तमान अपील में विचारणीय एकमात्र बिंदु यह है कि क्या अवर न्यायालय ने पीडब्लू-11 को अविश्वसनीय एवं भरोसा किए जाने योग्य न मानते हुए उसके बयान पर सही रूप से अविश्वास किया है। उक्त प्रश्न संक्षिप्त किंतु रोचक है। उक्त प्रश्न का उत्तर वर्तमान अपील के परिणाम का निर्धारण करेगा।

32- हाथ में प्रस्तुत प्रकरण मूलतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण था। तथापि, विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी ने आदित्य यादव (पीडब्लू-2), विकास यादव (पीडब्लू-3), अजय गुप्ता (पीडब्लू-4) एवं बृजेश सिंह (पीडब्लू-8) का परीक्षण किया। दं.प्र.सं. की धारा 161 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्तर्गत अभिलिखित उनके बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कुछ साक्ष्य सामने आए। तथापि, उपर्युक्त तथ्य के अभियोजन साक्षी अवर न्यायालय के समक्ष अपने बयानों के दौरान पक्षद्रोही हो गए। पीडब्लू-1, प्रथम सूचनाकर्ता ने अवर न्यायालय के समक्ष बयान दिया और अभियोजन का समर्थन करने का प्रयास किया, किंतु वह अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रही। न तो वह घटनास्थल और न ही घटना के तरीके को सिद्ध कर सकी और न ही वह प्रश्नगत अपराध में नामजद अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में अपने ज्ञान के स्रोत के बारे में कोई बयान दे सकी। अतः आरोप-पत्र में नामित सभी तथ्य के अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के पश्चात अभियोजन द्वारा नसीम इस्लाम को अभियोजन साक्षी के रूप में तलब करने हेतु दं.प्र.सं. की धारा 311 के अन्तर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। इस प्रकार, इस साक्षी के सम्मिलित होने से वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य से प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित प्रकरण बन गया।

33- उपर्युक्त के दृष्टिगत, अभियोजन के प्रकरण/अभियुक्त के दोष की सत्यता की जांच **शरद बिर्धीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 (4) एससीसी 116** के प्रकरण में निर्धारित मानदंडों के आलोक में नहीं की जानी थी, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने के संबंध में स्थापित विधि का प्रमुख दृष्टांत बना हुआ है, बल्कि इस सिद्धांत के आधार पर की जानी थी कि क्या अभियोजन का तथ्य साक्षी विश्वसनीय एवं भरोसेमंद है और इसलिए उसके बयान पर अभियुक्त के दोष का निर्धारण करने हेतु भरोसा किया जा सकता है।

34- आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से हम पाते हैं कि पीडब्लू-11 को एफ.आई.आर. में प्रत्यक्षदर्शी के रूप में नामित नहीं किया गया था। विवेचना अधिकारी द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 161 के अन्तर्गत परीक्षण किए गए प्रथम सूचनाकर्ता एवं अन्य साक्षियों के बयानों में भी उसका नाम सामने नहीं आया था। विचारण के दौरान अभियोजन ने दं.प्र.सं. की धारा 311 के अन्तर्गत संभवतः यह आरोप लगाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया कि नसीम इस्लाम नामक व्यक्ति घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण प्रकरण से अवगत है और इसलिए उसे तलब किया जाए। उक्त आवेदन अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। परिणामस्वरूप, नसीम इस्लाम ने अवर न्यायालय के समक्ष पीडब्लू-11 के रूप में बयान दिया। चूंकि इस साक्षी का विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था, इसलिए अवर न्यायालय के समक्ष अपने बयान में उसके द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए गए प्रकटीकरण को अविवेचित तथ्यों की श्रेणी में रखा जाएगा। अतः उसका बयान सामान्य साक्षी से भिन्न है और इसलिए उसका परीक्षण सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया जाना आवश्यक है।

35- पीडब्लू-11 ने अवर न्यायालय के समक्ष अपने बयान में एक अत्यंत काल्पनिक कहानी सुनाई है, जो प्रथमदृष्टया अभियुक्त बहादुर @ शेर बहादुर के दोष को सिद्ध करती है। इस साक्षी के अनुसार, वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। प्रश्नगत घटना दिनांक 19.04.2022 को प्रातः 07:30 बजे से 08:00 बजे के बीच हुई। इस साक्षी ने आगे बयान दिया कि दिनांक 19.04.2022 को वह गंगा नदी के किनारे शंकरघाट की ओर प्रातः भ्रमण के लिए बाहर गया था। रास्ते में उसने देखा कि अभियुक्त बहादुर @ शेर बहादुर डॉ. वीणा टंडन (मृतका) के सिर को एक डंडे से पटक रहा था। वह उस स्थान पर एक मिनट तक रुका और आगे देखा कि घटना के तुरंत बाद यात्रियों से भरी एक कार आई। उक्त कार से दो व्यक्ति बाहर निकले, डॉ. वीणा टंडन को कार के अंदर रखा और पाटून पुल की दिशा में यह कहते हुए चले गए कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। तथापि, वह कार में बैठे किसी भी यात्री की पहचान नहीं कर सका। न तो पुलिस ने उससे कोई पूछताछ की और न ही उसने घटना की जानकारी किसी व्यक्ति को दी। हालांकि, उसने कहा है कि उसकी अभियुक्त के साथ दुश्मनी है, किंतु अभियुक्त को पहले ही दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है। तथापि, इस साक्षी की विश्वसनीयता एवं भरोसेमंदता उसके मुख्य परीक्षण में ही स्पष्ट रूप से उजागर हो गई। उसने कहा कि वह 10 फीट की दूरी पर खड़ा था। अपराध करने के बाद अभियुक्त भाग गया। एक आम व्यक्ति घायल को कार में ले गया। घटना के तुरंत बाद कार वहां आई। तथापि, इस साक्षी ने स्वीकार किया कि डॉ. वीणा टंडन एवं अविका टंडन के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। मृतका की हत्या उसके सामने की गई थी। तथापि, वह भयभीत था और इसलिए वह उक्त घटना की जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं दे सका। मृतका को डंडे से सिर पटककर मारा गया था, न कि ईंट एवं पत्थरों को एक बोरे में रखकर। उसका विश्वास था कि डॉ. वीणा टंडन की मृत्यु हो गई है और इसलिए उसने अपने मुख्य बयान में कहा कि अभियुक्त ने उसे मार डाला था। प्रथम सूचनाकर्ता स्वयं उसके पास आई थी। प्रथम सूचनाकर्ता को यह कैसे पता चला कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, यह उसे ज्ञात नहीं है। वह प्रतिदिन टहलने जाता है, किंतु अलग-अलग रास्ते अपनाता है। घटना वाले दिन उसने वही रास्ता अपनाया था जिस पर घटना हुई थी। घटनास्थल पर लगभग 20-25 व्यक्ति उपस्थित थे। तथापि, वह उनमें से किसी को पहचानता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



36- अवर न्यायालय ने इस साक्षी अर्थात् पीडब्लू-11 के बयान एवं मुख्य परीक्षण के मूल्यांकन के पश्चात उसके बयान में निम्नलिखित विसंगतियां पाईं:-

(i)- यह समझ से परे है कि यदि इस साक्षी ने मृतका डॉ. वीणा टंडन को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था तथा वह प्रथम सूचनाकर्ता मिस अविका टंडन से घनिष्ठ रूप से परिचित था और उसके साथ उसके संबंध मधुर एवं सौहार्दपूर्ण थे, तो उसने मृतका की रक्षा करने/अभियुक्त को पकड़ने के लिए आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाया?

(ii)- घटना के तुरंत बाद जब अभियुक्त भाग गया, तो इस साक्षी ने मृतका को अस्पताल ले जाने का प्रयास क्यों नहीं किया?

(iii)- घटना घटित होने के पश्चात इस साक्षी द्वारा पुलिस को कोई सूचना क्यों नहीं दी गई?

(iv)- इस साक्षी ने प्रथम सूचनाकर्ता को घटना के बारे में सूचित क्यों नहीं किया?

(v)- यदि घटना इस साक्षी द्वारा बताए गए तरीके से घटित हुई थी, तो सामान्य विवेक वाला व्यक्ति भी पुलिस थाने जाकर पुलिस को इसकी सूचना देता?

(vi)- अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच गंभीर दुश्मनी थी, जिसके कारण एक हत्या हुई, जिसमें बहादुर @ शेर बहादुर को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। अतः पीडब्लू-11 प्रथमदृष्टया उपर्युक्त कारण से अभियुक्त के विरुद्ध बयान देता हुआ प्रतीत होता है।

(vii)- पीडब्लू-11 के बयान में उभरने वाली उपर्युक्त विसंगतियों के दृष्टिगत अवर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस साक्षी के व्यवहार एवं आचरण को देखते हुए, विचारण में प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उसका अचानक प्रकट होना विश्वास उत्पन्न नहीं करता है और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अतः अवर न्यायालय ने इस साक्षी को विश्वसनीय एवं भरोसा किए जाने योग्य न मानते हुए उसके बयान पर अविश्वास किया और उसके साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया।

37- वर्तमान अपील की सुनवाई के समय हमने विशेष रूप से अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का ध्यान पीडब्लू-11 के बयान में उपर्युक्त असंगतियों एवं विसंगतियों की ओर आकर्षित किया। हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को यह भी इंगित किया कि उपर्युक्त के आलोक में पीडब्लू-11 के बयान को किस प्रकार विश्वसनीय एवं भरोसेमंद कहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जा सकता है। तथापि, अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने केवल अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए तर्क को दोहराया कि चूंकि पीडब्लू-11 एवं अभियुक्त के बीच दुश्मनी थी, इसलिए पीडब्लू-11 घटना के तरीके के बारे में प्रथम सूचनाकर्ता अथवा पुलिस को पहले जानकारी नहीं दे सका।

38- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पूर्णतः काल्पनिक है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। अन्यथा भी, पीडब्लू-11 का बयान ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाता है, क्योंकि पीडब्लू-11 ने अपने बयान में घटना का समय प्रातः 07:30 बजे से 08:00 बजे के बीच बताया है, जबकि पीडब्लू-1 प्रथम सूचनाकर्ता एवं मृतका की पुत्री ने लिखित रिपोर्ट तथा अवर न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि मृतका प्रातः 08:00 बजे अपने क्लिनिक से घर पहुंची और उसके पश्चात दूध खरीदने के लिए पैदल चली गई। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर पीडब्लू-11 के बयान में आए उपर्युक्त कथन पर संदेह किया जा सके। अतः यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-1 का बयान प्रथमदृष्टया स्वयं अभियोजन के प्रकरण के विरुद्ध है।

39- अंतिम तथ्य न्यायालय होने के नाते, हमने स्वयं पीडब्लू-1 एवं पीडब्लू-11 के बयानों का परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया कि क्या घटना के समय के संबंध में उनके बयानों में कोई संगति है। चूंकि घटना के समय के संबंध में इन दोनों साक्षियों के बयान परस्पर भिन्न हैं और दोनों के बीच समय का बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए घटना के तरीके के संबंध में पीडब्लू-11 के बयान में किया गया बाद का वर्णन पूर्णतः अप्रासंगिक है, क्योंकि मृतका द्वारा अपना घर छोड़ने के समय अर्थात् प्रातः 08:00 बजे के संबंध में पीडब्लू-1 का बयान अधिक विश्वसनीय एवं भरोसेमंद है। पीडब्लू-1 मृतका की पुत्री है और प्रथमदृष्टया घर की अंतिम निवासी है, जिसने मृतका को प्रातः 08:00 बजे के बाद घर से बाहर जाते हुए देखा था। एक बार जब मृतका की पुत्री एवं उसके घर की निवासी पीडब्लू-1 अविका टंडन ने स्वयं कहा है कि मृतका प्रातः 8:00 बजे के बाद घर से बाहर गई थी, तो पीडब्लू-11 का यह कथन कि घटना प्रातः 7:30 बजे से 8:00 बजे के बीच हुई, प्रथमदृष्टया असत्य है और इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, पीडब्लू-11 के बयान में उभरने वाला विरोधाभास घटना के समय एवं स्थान पर उसकी उपस्थिति को अत्यंत संदिग्ध बनाता है। अतः पीडब्लू-11 द्वारा अपने बयान में बताए गए घटना के तरीके का अभियुक्त के दोष का निर्धारण करने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। एक बार जब

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीडब्लू-11 घटना के समय एवं स्थान पर अपनी उपस्थिति सिद्ध करने में विफल रहा, तो उसके बयान में वर्णित घटना का तरीका अप्रासंगिक है और इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

40- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं मानी जा सकती। अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से निकाला जा सकने वाला एकमात्र तार्किक निष्कर्ष है।

41- परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील विफल होती है और खारिज किए जाने योग्य है।

42- तदनुसार, इसे **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा)

13 अगस्त, 2026

अरशद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।